

भविष्य निधि से निकासी हेतु आवेदन-पत्र

1. अंशदाता कर्मचारी का नाम :
2. लेखा संख्या :
3. पदनाम :
4. वेतन रू. :
5. स्टेशन :
6. वेतन यूनिट :
7. नियुक्ति तिथि :
8. आवेदन तिथि को अभिदाता के खाते में शेष राशि रू. :
9. क) वर्ष से विवरण के अनुसार इतिशेष रू. :
ख) वर्ष तक अभिदान में जमा रू. :
ग) अग्रिम की वापसी :
घ) से तक अभिदान में जमा रू. :
च) कुल जमा राशि रू. :
अग्रिम की बकाया राशि तिथि को लिये गये या :
9. स्वीकृत अग्रिम की राशि तिथि को बकाया राशि
(1) :
(2) :
10. मांगे गये अग्रिम की राशि रू. :
(क) अग्रिम लेने का उद्देश्य (यदि विवाह के लिए है तो नाम, आयु, विवाह की तिथि)
(ख) नियम जिसके तहत आवेदन शासित है :
(ग) यदि भवन निर्माण हेतु अग्रिम चाहिए तो निम्नलिखित सूचनाएँ दें :
 1. भूखंड की स्थिति, नाम :
 2. क्या भूखंड मुफ्त भूमि अधिकार है या पट्टे पर है :
 3. निर्माण की योजना :
 4. क्या सहकारी समिति से फ्लैट या भूखण्ड क्रय करना है :
 5. निर्माण लागत :
 6. यदि फ्लैट बोर्ड आदि से क्रय करना है तो स्थान, मंडल आदि :
 7. स्वीकृत यदि कर्मचारी के भविष्य निधि में वांछित राशि शेष है तो :

(घ) यदि बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रिम चाहिए तो

निम्नलिखित सूचना दें –

1. पुत्र/पुत्री का नाम :
2. कक्षा/स्थान/महाविद्यालय का नाम जहां :
अध्ययनरत् हैं
3. इस समय कहां वह स्कूल का छात्र है या होस्टल :
का

(च) यदि अग्रिम परिवार के जीवित सदस्यों के इलाज के लिए हैं तो निम्न विवरण दें—

1. मरीज का नाम तथा उससे संबंध :
2. उस अस्पताल/दवाखाना का नाम जहां डाक्टर :
से मरीज इलाज करा रहा है
3. क्या मरीज बाह्य या आंतरिक रोगी है :
4. क्या प्रतिपूर्ति की जाएगी अथवा नहीं :
5. निकाली जाने वाली आवश्यक राशि रू. :

टिप्पणी: यदि 10(च) के अंतर्गत अग्रिम ले रहे हैं तो साक्ष्य हेतु दस्तावेज/प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ।

1. समेकित अग्रिम राशि (मद सं. 9 और 10) और मासिक किस्तों में जिसमें समेकित अग्रिम राशि रू. को किस्तों में लौटाया जाना है ।
2. अभिदाता की आर्थिक परिस्थितियों का पूर्ण विवरण जिसमें उसने अस्थाई निकासी के आवेदन का औचित्य बताया है ।

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं तथा जिसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर

पश्चिम मध्य रेल

..... कार्यालय

कार्मिक शाखा जबलपुर

मेमो नं.

दिनांक:

श्री/श्रीमती के पक्ष में भविष्य निधि खाता सं. से रू. का स्थाई/अस्थाई निकासी के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसे के माध्यम से एक/दो किस्तों में नकद/चेक द्वारा भुगतान वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, पमरे/जबलपुर को अग्रेषित किया जाता है ।

स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
का हस्ताक्षर / पदनाम